रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248957
CG-DL-E-23092023-248957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2023/भाद्र 30 , 1945
No. 229]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2023/BHADRA 30, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2023

(मामला सं. एडी 12/23)

विषय : चीन जन.गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/12/2023-डीजीटीआर.—क. पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष ''अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर'' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली "ऑल इंडिया मिरर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन" (जिसे आगे ''एआईएमएमए'' कहा गया है) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि भारत में उद्योग को चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण क्षति हो रही है।

2. प्राधिकारी एतदद्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी

कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम 4 के अनुसार अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर का विनिर्माण करने वाले भारतीय उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का संज्ञान लेते हैं।

ख. **विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ''अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर'' है। ग्लास मिरर में एक संरक्षित पिछली सतह होती है। इसमें एक तरफ प्रतिबिंब दिखाने वाली सतह होती है और दूसरी ओर इसे पेंट किया जाता है। इसे प्लेटों में उत्पादित किया जाता है और स्थान और प्रचालकों के आधार पर इसे मिलिंग, बेवलिंग, ग्रोविंग और विभिन्न मुद्रण पद्धतियों द्वारा अंतिम प्रयोग हेतु तैयार करने के लिए छोटे आकारों में काटा जाता है।

4. घरेलू उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री चीन से संबद्ध वस्तु के लिए प्रयुक्त सामग्री के जैसी है जिसमें फ्लोट ग्लास, एल्युमिनियम, टंगस्टन, बेस कोट पेंट और टॉपकोट पेंट शामिल हैं। इस उत्पाद को मुख्यत: वस्तुकला और फर्नीचर निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसे निर्माण व्यवसाय में इंटीरियर की सजावट के लिए सजावटी और फंक्शनल सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है।

5. यद्यपि यह उत्पाद विभिन्न मोटाई में हो सकता है, तथापि, 90 प्रतिशत उत्पाद 3 एमएम के होते हैं। विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पाद की अलग-अलग मोटाई के गठन में कोई अंतर नहीं है। उत्पाद की मोटाई उसके प्रयोग पर आधारित है। उत्पाद आकार में परिवर्तन उत्पादन की इकाई लागत और बिक्री कीमत (भार आधार पर) में वास्तविक रूप से कोई परिवर्तन नहीं करता है।

6. उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 7009 के अंतर्गत और 8 अंकीय कोड 7009 91 00 के अंतर्गत अध्याय 70 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद और उत्पाद कोड समीक्षा (पीसीएन) पद्धति के दायरे के संबंध में इस जांच की शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां करने का निदेश दिया जाता है।

ग. **समान वस्तु**

8. एआईएमएमए के दावे को नोट करते हुए प्राधिकारी प्रथमदृष्ट्या मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु तुलनीय हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। भारतीय उ़द्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ नियमावली के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के ''समान वस्तु'' माना जा रहा है।

घ. **कथित पाटन का आधार**

9 प्राधिकारी की परिपाटी पर विचार करते हुए और चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार यह माना गया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाना चाहिए कि अनुच्छेद 15(क) (i) के प्रावधानों के अनुसार समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। चीन की कीमतें और लागत का जांच के अधीन उद्योग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत; (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य; (ग) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत संबंधी सूचना प्राधिकारी के पास इस समय उपलब्ध नहीं है। इसलिए संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कच्ची सामग्री की कीमत पर विचार करते हुए उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है। सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर परिवर्तन लागत, एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन और एसजीए को शामिल करने के लिए इस कीमत में आवश्यक समायोजन किये गये हैं।

10. एआईएमएमए ने संबद्ध देश से पीयूसी की निर्यात कीमत जांच अवधि के लिए डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशित आंकड़ों पर विचार करते हुए निर्धारित की है। प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार किया गया है। कारखानाद्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन आदि के लिए कीमत समायोजन किये गये हैं।

11. तदनुसार, ऊपर यथा परिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखानाद्वार निर्यात कीमत से अधिक है जो दर्शाता है

कि संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

ड. <u>कथित क्षति का आधार</u>

12. प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग समग्र रूप से तथा सापेक्ष रूप से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति उठा रहा है। आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि भारतीय उद्योग का हिस्सा कम हुआ है। आयात घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं और इस तरह से घरेलू बाजार में कीमत मंदी ला रहे हैं। इसके अलावा, सूचना यह भी दर्शाती है कि बढ़ती हुई मांग के बावजूद भारतीय उद्योग के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। जिसके परिणामस्वरूप अत्यंत कम क्षमता उपयोग स्तर रहे हैं। यद्यपि आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव संबंधी सूचना इस समय प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, तथापि, फिर भी प्राप्त सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि उद्योग को लाभप्रदता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव भी झेलना पड़ा है।

च. <u>पाटनरोधी जांच का आधार</u>

13. प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के नियम 5(4) के अनुसार एआईएमएमए द्वारा प्रदत्त सूचना और डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों का संज्ञान लेते हैं। नियम 5(4) में निम्नानुसार बताया गया है:

"उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं यह जांच शुरू कर सकते हैं यदि वे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त (सीमा शुल्क आयुक्त) से प्राप्त सूचना या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से इस बात से संतुष्ट हैं कि उपनियम (3) के खंड (ख) में संदर्भित परिस्थितियों की मौजूदगी के रूप में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं"।

14. एडी नियमावली के नियम 5(4) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से "अनफ्रेंम्ड ग्लास मिरर" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच स्वप्रेरणा से शुरू करते हैं।

छ. <u>जांच की अवधि</u>

15. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है और क्षति अवधि में 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

ज. <u>संबद्ध देश</u>

16. वर्तमान जांच में शामिल संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

17. वर्तमान जांच के लिए नियामावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले समस्त पत्र ई-मेल पतों jd16-dgtr@gov.in, dd15-dgtr@gov.in., adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in. को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

19. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपरोक्त पैरा 20 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों, dd15-dgtr@gov.in., jd16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in. तथा adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

27. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

29. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप के जांच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य अथवा सारांश रूप से उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनेदेखी कर सकते हैं।

30. सार्थक गोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के सही कारण के विवरण के बिना किये गये किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

31. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोध शेयर करना

32. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें क्योंकि सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी ।

ढ. <u>असहयोग</u>

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2023

(Case No. AD 12/23)

Subject : Initiation of Anti-dumping Investigation concerning Imports of “Unframed Glass Mirror” originating in or exported from China PR.

F. No. No. 6/12/2023-DGTR.—A. <u>Background</u>

1. A representation has been received from “All India Mirror Manufacturers Association” (hereinafter referred to as "AIMMA"), representing manufacturers of “Unframed Glass Mirror” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) stating that the industry in India is getting injured in view of increase in dumped imports of the subject goods from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The Authority hereby takes cognizance of the information provided by the Indian Industry manufacturing unframed glass mirror as per sub-rule 4 of rule 5 of the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules") AD rules.

B. <u>Product under consideration</u>

3. The product under consideration in the preset investigation is “unframed glass mirror”. The glass mirror has a protected back surface. They have reflective surfaces on one side and are painted on the opposite side. It is produced in plates and, depending on the location and operators, it is cut in smaller sizes by milling, bevelling, grooving and various printing methods to be made ready for end use.

4. The main raw materials used for the manufacturing of the domestic product are similar to the ones used for the subject goods from China, being float glass, aluminium, tungsten, base coat paint and topcoat paint. This product is mainly used in architecture and furniture manufacturing. It is used as a decorative and functional material for the decoration of interiors in the construction business.

5. While the product may occur in different thicknesses, 90% of the products occur at 3mm. There is no difference in the manufacturing process and composition of different thicknesses of the product. The thickness is based on the uses of the product. The change in the product size does not materially alter the unit cost of production and selling price (on a weight basis).

6. The product is classified under Chapter 70 of the Customs Tariff Act under subheading 7009 and under the 8-digit code 7009 91 00. The customs classification is only indicative, and not binding on the scope of this investigation.

7. The interested parties are directed to make comments on the scope of the product under consideration and product code number (PCN) methodology within 30 days from the date of initiation of this investigation.

C. <u>Like Article</u>

8. Noting the claim of the AIMMA, the Authority *prima facie* holds that the goods produced by the domestic industry and the goods imported from the subject country are comparable and also technically and commercially substitutable. Goods produced by the Indian industry are *prima facie* being treated as “like article” to the product under consideration under the Rules for the purpose of the present investigation.

D. Basis of alleged dumping

9. Considering the practice of the Authority and as per Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol it is considered that the Chinese producers should show that consistent with the provisions of Article 15(a)(i), market economy conditions prevail in the industry producing the like product, with regard to the manufacture, production and sale of that product under consideration, Chinese prices or costs can be used for the industry under investigation. Since, information on (a) the price in a market economy third country; (b) constructed value in a market economy third country; (c) the price from such a third country to other countries, including India, is not available with the Authority at this stage, the normal value in the subject country has, therefore, been constructed based on the estimates of the cost of production by considering the price of the raw material. Due adjustments have been made to this price to include conversion costs, a reasonable profit margin and SGA based on best information available.

10. The AIMMA has determined the export price for the PUC for the subject country by considering the published DGCI&S data for the period of investigation. The same has been considered by the Authority. Price adjustments for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight, commission etc. have been made to arrive at the ex-factory export price.

11. Accordingly, based on the normal value and export price as computed above, there is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above *de minimis*.

E. Basis of alleged injury

12. Based on information available with the Authority, it is *prima facie* noted that the Indian industry is getting injured as a result of the alleged dumping in the form of an increased volume of dumped imports in absolute terms and in relative terms. The market share of imports has increased whereas that of the Indian industry has declined. Imports appear to undercut the price of the domestic industry thereby causing price depression in the domestic market. Further, information also indicates that despite increasing demand, production of the Indian industry has declined significantly, resulting in extremely low capacity utilisation levels. While complete information on the impact on economic parameters is not available with the Authority at this stage, it is nonetheless observed based on information received that the industry has also suffered an adverse impact on profitability.

F. Initiation of Anti-dumping Investigation

13. The Authority takes cognizance of information provided by the AIMMA and the DGCI&S import data as per Rule 5(4) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules). Rule 5(4) states as under:

"*Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the designated authority may initiate an investigation suo motu if it is satisfied from the information received from the [Commissioner of Customs] appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or from any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances referred to in clause (b) of sub-rule (3)*"

14. Keeping in view rule 5(4) of the AD Rules, the Authority *suo motu* initiates the Anti-dumping duty Investigation on imports of **"**unframed glass mirror" from China PR.

G. Period of Investigation

15. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months) and the injury period will cover the periods 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 and the POI.

H. Subject Country

16. The subject country involved in the present investigation is China PR.

I. Procedure

17. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, shall be followed for the present investigation.

J. Submission of Information

18. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses jd16-dgtr@gov.in dd15-dgtr@gov.in. adg16-dgtr@gov.in, and adv13-dgtr@gov.in, It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

19. The known producers/ exporters in the subject country, the Government through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 20 above.

21. Any party making any confidential submission before the Authority must make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses jd16-dgtr@gov.in, dd15-dgtr@gov.in adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in, within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

26. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file a confidential and a non-confidential version separately.

27. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Sharing of responses/submissions amongst interested parties

32. A list of interested parties will be uploaded on the DGTR website along with a request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically.

N. Non-cooperation

33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. AMIT KUMAR JAISWAL